न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्यौल आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 31 / 2015
दायर दिनांक :– 28 / 03 / 2015
निर्णय दिनांक :–27 / 08 / 2025

अनवान

01. रामचन्द्र जाट(मृतक) के बजाय :–
(1) श्रीमति नानी पत्नी स्व. रामचन्द्र जाट निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
(2) श्रीमति संतोष पुत्री स्व. रामचन्द्र जाट पत्नी भोनीराम हाल निवासी छापरी तह.कपासन जिला चित्तौडगढ
(3) श्रीमति प्रेम पुत्री स्व. रामचन्द्र जाट पत्नी गोरधन हाल निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ
(4) श्रीमति सीता पुत्री स्व. रामचन्द्र जाट पत्नी जगदीश हाल निवासी सोमरवालों का खेडा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ
02. पृथ्वीराज पिता लालुराम जाट निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

वादीगण

बनाम

1. हरलाल पिता रामा चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय
   (1) नोजी पत्नि स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (2) रतनलाल पिता स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (3) माधुलाल पिता स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (4) सोहन पिता स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (5) प्रेमी पुत्री स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. गणेश पिता रामा चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय
   (1) भेरा पिता स्व. गणेश चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (2) मुस्मात कमली पुत्री स्व. गणेश चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (3) राजु पिता स्व. गणेश चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

(4) सत्तु पिता स्व. गणेश चमार निवासी दोभादरपुरा मजरा दोभादरपुरा का खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

3. मगना पिता दयाराम चमार निवासी दोभादरपुरा मजरा दोभादरपुरा का खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

4. श्रीमती प्रेमीबेवा मांगु चमार निवासी छतरीखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

5. भागीरथ पिता मांगु चमार निवासी छतरीखेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

6. मुस्मात हमामी पिता दयाराम पत्नी मोहन चमार निवासी मिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

7. मुस्मात नर्बदा पिता दयाराम चमार निवासी दोभादरपुरा मजरा दोभादरपुरा का खेड़ा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

08. राज्य सरकार तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से – श्री मुकेश श्रीवास्तव, नवलसिंह राणावत अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री भानुप्रतापसिंह शक्तावत अधिवक्ता

दिनांक :– 27 / 08 / 2025

वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि मौजा छतरीखेड़ा पटवार सर्कल खड़बामणिया तहसील रेलमगरा मे साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 03–02 बीघा स्थित है। जिसको वादीगण के पिता लालुराम ने व वादी संख्या 01 ने सम्वत 2009 का जैठ बुद 10 को प्रतिवादी संख्या 03, 06, 07 के पिता एवं 04 के ससुर व 05 के पिता दादाजी दयाराम के हिस्से में होने से उनसे खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया। तभी से लालुराम एवं उनके पश्चात वादीगण का निरन्तर आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है जिसका स्टाम्प भी संवत 2018 का चेत सुद 01 0 को लिख दिया एवं दिनाक 06.08.1974 को दयाराम ने और स्टाम्प लिख कर पुनः वादीगण के पक्ष में रजिस्टर्ड बयनामा लिख दिया प्रमाण मे नकले प्रस्तुत हैं। साबिक आ.न. 110 के हाल आ. न. 128 रकबा 03.14 तीन बिघा चौदह बिस्वा कायम हुए हैं। प्रमाण में खसरा भू प्रबन्ध विभाग की नकल प्रस्तुत हैं। साबिक आ.न. 110 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा पुर्व रेकार्ड में रामा, दयाराम पिता रुपा चमार के नाम दर्ज हैं, लेकिन उक्त आराजी अकेले दयाराम के हिस्से में एवं पाती में आने से ही वादीगण एवं उनके पिता ने

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दयाराम से ही खरीद की। प्रमाण मे साबिक रेकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत है। आ.न. 128 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा को डगोलिया वाली जमीन के नाम से पुकारते है, जिसके पडौस निम्न है। पूर्व पटेल कजोड पिता मंगलराम चमार की आराजी को जो जीतु पिता हजारी जाट के कब्जे मे है। पश्चिम चमार कल्याण मांगु की आराजी उत्तर पटेल धीसा जाट की जमीन दक्षिण चमार भेरा की आराजी उपरोक्त चारो पडोसो के मध्य की आराजी पर वर्षो अर्थात करीबन 41 वर्षो से वादीगण का ही एक मात्र निर्बाध रुप से कब्जा चला आ रहा है। आराजी संख्या 128 पर रामा, व दयाराम का स्वर्गवास हो जाने से प्रतिवादी संख्या 01 से 07 उनके वारिस होने इस वाद मे आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 समाधान हेतु पक्षकार बनाये गये है। उक्त आराजी पर वादीगण का निरन्तर 41 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, जिनको 12 वर्षो से अधिक का समय हो चुका है। अतः वादीगण का कब्जा मुखालफाना परिपक्व हो जाने से तथा प्रतिवादी का उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार से स्वत्व न होने से वादीगण अपने नाम पर स्वत्व घोषणा कराने के अधिकारी है, तथा लगान भी वादीगण ही जमा कराते चले आ रहे है। उक्त आराजी का विक्रय भी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागु होने से पूर्व का अर्थात 41 वर्षो से अधिक का होने से वादीगण का कब्जा मुखालफाना भी परिपक्व हो चुका है, अतः वैसे भी वादीगण कानुनन उक्त आराजीयात को अपने नाम पर खातेदारी की घोषित कराने के अधिकारी है।प्रमाण मे जिन्सवारी की नकल प्रस्तुत है। वाद कारण संवत 2009 का जेठ बुद 10 को जबकि विक्रय कर भूमि का कब्जा वादीगण के पिता को संपुर्द किया तथा संवत 2018 का चेत सुद 01 को स्टाम्प पर बिकाव नामा लिखा तथा दिनाक 06.08.1974 को पुनः विक्रय पत्र लिख कर रजिस्ट्री करवाई तथा दिनाक 19.03.1993 को प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा गलत झूठा, मनगढन्त तथ्यो पर रचित सूचना पत्र देने से उत्पन्न हुआ जिसका जवाब उसको दिनाक 28.05.93 को देने पर उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 04 जबरन जलील एवं परेशान करने की दृष्टि से कब्जा करने की धमकियो दिनाक 29.05.93 को देने पर तथा वादीगण के नाम खाते मे दर्ज कराने से मना करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 04 म. प्रेमी ने दिनाक 11.03.93 को एक मनगढन्त तथ्यो पर रचित गलत नोटिस वादीगण का कब्जा 10 वर्ष का ही मानते हुए कब्जा प्राप्त करने बाबत जारी कराया जिसका उसको 41 वर्षो से अधिक का बिकाव से कब्जे होने का उजर करते हुए विधियत रजिस्ट्री से सूचना पत्र भेजा जा चुका है।फिर भी अभी अभी दिनाक 29.05.93 को नाम पर दर्ज करवाने मे आना कानी करने व हस्तक्षेप व दस्तनदाजी करने की धमकी देने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी संख्या 08 राजस्थान सरकार की और से भूमिधारी होने से समाधान हेतु आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1,2 मृतक रामा एवं प्रतिवादी संख्या 3,4,5,6,व 7 मृतक दयाराम के विधिक प्रतिनिधि होने एवं वर्तमान रेकार्ड

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड ... रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

में नाम होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं। अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की आज्ञप्ति प्रदान की जावे कि मौजा छतरीखेडा की साबिक आ.न. 110 रकबा 03 बीघ 02 विस्वा जिसके आ.न. 128 रकबा 03 बीघा 14 विस्वा भूमि वादीगण के स्वत्वाधिकार की होकर वादीगण की खातेदारी की घोषित फरमाई जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण स्वयः उनके नोकर चाकर एजेन्ट या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से वादग्रस्त जमीन में हस्तक्षेप एवं दस्तनदाजी न करें न करावें। उक्त आराजी का प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के बजाय राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कराया जावें। वाद व्यय वकील महनताना इत्यादि प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 06 व 07 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 03–02 बीघा प्रतिवादी संख्या 03, 06 व 07 के पिता एवं 04 के ससुर एवं 05 के पितामह श्री दयाचन्द्र के हिस्से में आई, जो सही है, और दयाराम से वादी संख्या 01 व 02 ने करीब 40–41 वर्ष पूर्व से काबिज हो खा कमा रहे है, श्री दयाराम से इन्होने खरीदी हो तो उसका हमें कोई पता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 02, 03, 04, 05 स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 06 में वादीगण का वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, जो सही है। हम प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर वादीगण संख्या 01 व 02 का कब्जा ही देखते आ रहे है तथा लगान भी वादी संख्या 01 व 02 को जमा कराते आ रहे है। वादपत्र की कलम संख्या 07 स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 08 से प्रतिवादगण संख्या 01, 02, 03, 06 व 07 अनभिज्ञ है क्योंकि प्रतिवादीगण के पिता श्री दयाराम ने पूर्व में विकय पत्र लिख बाद में रजिस्ट्री करवाई हो तो उनकी जानकारी प्रतिवादीगण को नही है। वादपत्र की कलम संख्या 09 से प्रतिवादगण संख्या 01, 02, 03, 06 व 07 अनभिज्ञ है। वादपत्र की कलम संख्या 10, 11, 12 व 13 कानुनी है। वादपत्र की कलम संख्या 14 में क,ख,ग का विवरण स्वीकार है। अतः निवेदन है कि वादीगण को उक्त आराजी की खातेदारी घोषित करवाई जावें, हमें किसी प्रकार का उजर व एतराज नही है। वही मेहनताना, वाद व्यय हमसे नही दिलवाया जाकर वाद वादीगण के पक्ष में डिकी फरमाई जावें। <u>प्रतिवादी संख्या 04 व 05</u> ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में विवरण में मौजा छतरीखेडा पटवार सर्कल बामनियाकंला में साबिक आ.न. 110 रकबा 03 बीघ 02 बिस्वा स्थित होना स्वीकार हैं। शेष इबारत अस्वीकार हैं। वादीगण के पिता को संवत 2009 में विक्रय नही की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

गई है तथा नही कब्जा वादीगण के पिता का रहा हैं। आज दिन तक कब्जा प्रतिवादी संख्या 04 का चला आ रहा हैं तब एक तरफ संवत 2009 में खरीद करना बताते है जो स्टाम्प पर नही है एवं पंजिकृत भी नही हैं, ऐसीस्थिति में व साक्ष्य में ग्राम योग्य नही है इसका यह विक्रय पत्र फर्जी तरीके से निष्पादित किया गया है एवं महज इस बात को बताने की राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी स्वर्ण में हस्तान्तरण होने योग्य नही होने के कारण उसका उक्त अधिनियम के पूर्व का इकरार बताने के इरादे से जाली दस्तावेज बनाया गया है इस बात का स्पष्ट्रीकरण इस बात से भी होती है कि जब एक तरफ संवत 2009 में यदि वास्तव में विक्रय पत्र निष्पादित किया होता तो दुबारा संवत 2018 में फिर विक्रयय पत्र की आवश्यकता क्यो पडती तथा दिनाक 6.8.1974 की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की भी आवश्यकता क्यो रहती। यह सारे दस्तावेज रद्द व बेअसर हैं। इस प्रकार के फर्जी दस्तावेजों का आधार बनाकर वादीगण अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नही रहता हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 02 का विवरण स्वीकार हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। आराजी नम्बर 110 पूर्व रेकार्ड में रामा, दयाराम पित रुपा चमार के नाम दर्ज थी तो ऐसीस्थिति में बिना रामा की और से किसी प्रकार का विक्रय पत्र निष्पादित किये उसका हिस्सा किस प्रकार से हस्तान्तरण होगा व पांति में आने मात्र से ही वादीगण को पूर्वतया स्वत्व स्थानान्तरित नही हो जाता हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 04 का विवरण में आराजी व पडोस होना स्वीकार है किन्तु वादीगण कभी भी कब्जा नही रहा। बलकि प्रतिवादी संख्या 04 व उसके पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण अलावा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को समाधान हेतु पक्षकार बनाया जाने के दीगर इबारत स्वीकार हैं। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदार होकर आवश्यक पक्षकार हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 06 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वादीगण का कोई कब्जा मुखालमाना प्राप्त नही हुआ हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 07 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वादीगण को खातेदारी घोषित करने का कोई अधिकार नही हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 08 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 09 का विवरण गलत होकर अस्वीकार हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 10 का विवरण प्रतिवादी संख्या 04 से सम्बन्धित नही हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 11 का विवरण स्वीकार हैं।वाद पत्र की कलम संख्या 12 का विवरण कानुनी जांच से सम्बनिधत हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 13 का विवरण में वाद का मुल्यांकन कम कायम किया गया हैं। प्रार्थना वादी की मिथ्या हैं। वादीगण किसी प्रकार से खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी नही हैं। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावें । विशेष हर्जा खर्चा प्रतिवादी संख्या 04 को दिलवाया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड ... रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे अनुसार निम्न तनकियात विरचित की गयी :–

1. आया ग्राम छतरीखेड़ा की साबिक आ.न. 110 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा वादीगण के पिता लालुराम ने संवत 2009 का जेठ विद 10 को प्रतिवादी स 3,6,7 के पिता व 04 के ससुर दयाराम के हिस्से में होने से उनसे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है एवं संवत 2018 का चैत्र सुद 1 एकम को एक स्टाम्प भी लिख दिया एवं दिनांक 06.08.74 को दयाराम ने स्टाम्प लिख कर रजिस्ट्री करवा दी।

—जिम्मे वादीगण

2. आया साबिक आ. न. 110 के हाल आ.न. 128 रकबा 03 बीधा 14 बिस्वा कायम हुये

—जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण का मुखालखाना कब्जा परिपक्व हो जाने से वादीगण स्वत्व घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

—जिम्मे वादीगण

4. आया वादी बाखिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार है।

—जिम्मे वादीगण

5. आया अनुसूचित जाति की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय नही हो सकती न ही वादी का कब्जा है वादी का कोई हक नही हैं।

—जिम्मे प्रतिवादी

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 रामचन्द्र जाट, पीडब्ल्यू–02 धनराज जाट, पीडब्ल्यू–03 जीतमल जाट, पीडब्ल्यू–04 लालु चमार, पीडब्ल्यू–05 नानालाल मांडोलिया के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण हुई एवं दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र की प्रति प्रदर्श–01, स्टाम्प संवत् 2018 का चैत्र शुदी 01 को वादीगण के पक्ष में लिखा उसकी असल प्रति प्रदर्श–02 होकर छाया प्रति प्रदर्श–02ए, खसरा भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–03, लगान की रसीदे प्रदर्श–04 से 10, नक्शा ट्रेस हाल आराजी संख्या 128 का प्रदर्श–11, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–12, खसरा गिरदावरी की नकल प्रदर्श–13, प्रेमी द्वारा दिये गये नोटिस की नकल प्रदर्श–14, नोटिस का जवाब द्वारा वादीगण प्रदर्श–15, पोस्टल रसीद प्रदर्श–16, रजिस्ट्री दिनांक 06.08.1974 को पुनः करवायी प्रदर्श–17, दिनाक 08.10.1999 को न्यायायल न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र.व.) रेलमगरा द्वारा दोषसिद्ध किया गया जिसके फैसले की प्रति प्रदर्श–18 के प्रस्तुत किये गये।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–01 प्रेमी चमार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हुई।

अधिवक्ता वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की गयी कि मौजा छतरीखेड़ा पटवार सर्कल खड़बामनिया तहसील रेलमगरा में साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 03–02 स्थित हैं, जिसे वादीगण के पिता लालुराम व वादी रामचन्द ने संवत 2009 का जेठ बद दसम को दयाराम चमार के हिस्से में होने से उनसे खरीदकर कब्जा प्राप्त कर लिया। तभी से अर्थात लालुराम के वक्त से व उनके बाद रामचन्द व पृथ्वीराज का कब्जा चला आ रहा हैं। रामचन्द की मृत्यु के बाद उनके वारिसान व पृथ्वीराज काबिज हैं। इसका विक्रय पत्र दयाराम ने बही में निष्पादित किया जो प्रदर्श 1 हैं, जिस पर दयाराम की एकल स्थान पर अंगुठ निशानी है,बाई स्थान पर पटेल किशोर एवं जेठ स्थान पर पटेल हासुजी की अंगुष्ठ निसानी है जो उन्होंने वादी रामचन्द के सामने की तथा उस समय स्व. रामचन्द 14–15 वर्ष के थे तथा रामचन्द के पिताजी लालुराम मौजूद थे । यह खत छोगालाल माण्डोलिया निवासी गिलुण्ड ने रामचन्द के सामने लिखा। छोगालाल माण्डोलिया ने दयाराम के कहने से लिखापढी प्रदर्श 1 लिखी तथा रामचन्द के सामने भूणिया रूपये दयाराम को लालुराम ने नकद दिये एवं प्रदर्श 1 लिखापढी पढ़ा, सुनाकर दयाराम व गवाहान की अंगुष्ठ निशानी कराई गई। यह जमीन रूपये 99/–अक्षरे निन्यान्वे रूपये सम्वत 2009 का जेठ बुद 10 दसम को खरीदी गयी। बही में विक्रय –पत्र प्रदर्श 1 लिखने वाले श्री छोगालाल माण्डोलिया का देहावसान हो चुका है और साक्षी पटेल किशोर व पटेल हासु का भी देहावसान हो चुका है तथादयाराम का भी देहावसान हो चुका है। दयाराम के पीछे मगना, प्रेमी व भागीरथ है। हगामी, मु. नर्बदा, वैदिक प्रतिनिधि होने से पक्षकार हैं। दयाराम के भाई रामा फौत हो चुके हैं और उनके लडके हरलाल व गणेश का भी दौराने वाद देहावसान हो चुका है, जिनके कायम मुकाम रेकार्ड पर हैं। सम्वत 2009 से उक्त आराजी जिसे कि दगोलिया वाली पाटी के नाम से जाना जाता है, पर वादीगण निरन्तर चला आ रहा हैं। जिसकी पुष्टि दुबारा स्टाम्प पर सम्वत 2018 का चैत सुद 1 (एकम) को पुनः वादीगण के पक्ष में स्टाम्प लिख दिया जो प्रदर्श –2 हैं। मौजा छतरीखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 110 के हाल आराजी संख्या 128 कायम हुए है, जो रकबा 03–14 (तीन बीघा चौदह बिस्वा) है, जिसकी नकल खसरा भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–3 हैं। साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 03–02 (तीन बीघा दो बिस्वा) पूर्व रेकर्ड में रामा, दयाराम पिता रूपा चमार के नाम दर्ज है, लेकिन उक्त आराजी अकेले दयाराम चमार के हिस्से एवं पांति में आने से ही वादीगण व उनके पिता लालुराम ने दयाराम से खरीद की, जिस समय यह जमीन रूपये 99/– अक्षरे निन्यान्वे रूपये में खरीदी . उस समय टिनेन्सी एक्ट लागू नही

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

था। हाल आराजी संख्या 128 रकबा 03–14 (तीन बीघा चौदह बिस्वा) को दगोलिया वाली पाटी के नाम से पुकारते हैं, जिसके पडौस पूर्व धनराज पिता कजोड पिता मेघराजी की जमीन व भेरा चमार की जमीन जो जीतू पिता हजारी जाट के कब्जे में है। पश्चिम चमार करना के लडके रतन व लालु की जमीन। उत्तर पटेल धीसा की जमीन जो उनके लडके गणेश के पास हैं। दक्षिण चमार भेरा की जमीन जो उनके लडके धीरा व धीसा के लडके नारायण के पास हैं। उपरोक्त चारो पडौसो के मध्य की आराजी पर करीब 64 वर्षो से वादीगण का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। 12 वर्षो से अधिक का समय अर्थात 64 वर्ष हो जाने से वादीगण का एडवर्स पजेशन (कब्जा मुखाल फाना) परिपक्व हो चुका है तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार से स्वत्व आधिपत्य नही होने से वादीगण अपने नाम पर स्वत्व घोषणा कराने के अधिकारी हैं। उक्त दगोलिया वाली पाटी आराजी पर वादीगण के अलावा किसी का कोई कब्जा नही रहा हैं। उक्त आराजी का विक्रय भी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व का अर्थात आल से 64 अक्षरे चौसठ वर्ष पूर्व का होने से वादीगण कानूनन खातेदार काश्तकार हो चेके हैं।वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम पर खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी हैं।उक्त आराजी का लगान भी वादीगण ही अदा कर रहे हैं।लगान की रसीदें प्रदर्श–4 से लगायत प्रदर्श–10 हैं, नक्शा ट्रेस हाल आराजी संख्या 128 का प्रदर्श –11 जमाबंदी की नकल प्रदर्श –12 हैं खसरा गिरदावरी प्रदर्श –13 है प्रेमी द्वारा दिये गये नोटिस की नकल प्रदर्श –14 हैं नामटिस का जवाब द्वारा वादीगण प्रदर्श –15 हैं एवं पोस्टल रसीद प्रदर्श –16 हैं रजिस्ट्री दिनांक 06/08/1974 को पुनः कराई जो प्रदर्श –17 हैं। हाल आराजी संख्या 128 रकबा 0.3–14 बिस्वा पर वादी का 64 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है और प्रतिवादी प्रेमी द्वारा जुर्म करने से इसी आराजी मुतलिक दखल अंदाजी करने से एवं चोरी का अपराध करने से दिनांक 08.10.1999 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र.व.) रेलमगरा द्वारा दोष सिद्व किया जिसके फैसले की प्रति प्रदर्श 18 है। वादी के वाद पत्र का प्रतियादी श्रीमती प्रेमी के ससुर हरलाल (प्रतिवादी संख्या 01) व प्रतिवादी संख्या 02,03,06 व 07 द्वारा वाद पत्र को स्वीकार किया गया। वादीगण के वाद पत्र का केवल प्रतिवादी संख्या 04 श्रीमती प्रेमी बेवा मांगू चमार व प्रतिवादी संख्या 05 भागीरथ द्वारा दावे का विरोध किया गया अन्यथा अन्य सभी प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद पत्र का समर्थन किया। इन प्रतिवादीगण ने जबाव दावे में बताया कि आराजी संख्या 110 पूर्व रेकार्ड में रामा दयाराम पिता रूपा चमार के नाम दर्ज होना माना है तथा इनका कहना है कि बिना रामा की ओर से किसी प्रकार का विक्रय पत्र निष्पादित किए उनका हिस्सा कैसे हस्तान्तरण होगा। प्रतिवदी संख्या 04 व 05 का यह भी कहना रहा कि अनुसूचित जाति की आराजी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं हो सकती न ही वादी का कब्जा है। वादी का कोई

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

हक नहीं है। वादी के वाद पत्र एवं सभी प्रतिवादीगण के जबाव दावे के पश्चात् न्यायालय द्वारा निम्न विवादक कायम किए गए ग्राम छतरीखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 03 बीघा 02 बिश्वा वादीगण के पिता लालुराम ने सम्वत् 2009 का जैठ बीद् 10 को प्रतिवादी संख्या 03,06,07 के पिता एवं 04 के ससुर श्री दयाराम के हिस्से में होने से उनसे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है एवं संवत् 2018 का चैत्र सुदी एकम को एक स्टाम्प भी लिख दिया एवं दिनांक 06.01. 1974 दयाराम ने स्टाम्प लिखकर रजिस्ट्री करवा ली। साबिक आराजी संख्या 110 के हाल आराजी संख्या 128 रकबा 03 बीघा 14 बिश्वा कायम हुए है। वादीगण का मुखालखाना कब्जा परिपक्व हो जाने से वादीगण स्वतः घोषणा कराने के अधिकारी है। अनुसूचित जाति की आराजी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को विकय नहीं हो सकती न ही वादी का कब्जा है। वादी का कोई हक नहीं है। उक्त विवादक कायम करने के पश्चात् साक्ष्य वादी में वादी की ओर से गवाह पी0डब्ल्यु 1 रामचन्द्र गवाह पी0डब्ल्यु 2 गवाह धनराज जाट गवाह पी0डब्ल्यु 3 जीतमल जाट गवाह पी0डब्ल्यू 4 लालु चमार गवाह पी0डब्ल्यू 5 नानालाल माण्डोलिया के न्यायालय में बयान कराये गये । प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में प्रेमी पेशी हुयी । प्रतिवादी की ओर से अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं हुआ। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी प्रेमी ने दिनांक 19.03.1993 को जो नोटिस प्रदर्श 14 दिया उसमें उसने स्वयं ने 10 साल का कब्जा बताया है जिसका वादीगण की ओर से जबाव दिया गया तथा यह जमीन नाम पर कराने को कहा गया। वास्ते में वादीगण का उक्त जमीन का कब्जा 64 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है जिसकी पुष्टि वादी व वादी के गवाहान व प्रस्तुत दस्तावेजान से होती है। रूपा चमार के रामा व दयाराम हुए जिनमें से रामा चमार ने उनके हिस्से की जमीन तोलीराम को विकय की जो उनकी मृत्यु के पश्चात् किसना एवं किसना की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र तुलसीराम कजोड़ एवं कजोड की मृत्यु के पश्चात् धनराज के नाम पर आयी है और धनराज स्वयं गवाह में पेश हुआ। इस प्रकार रामा व दयाराम व दोनो सगे भाई थे और रामा ने उनके हिससे की जमीन बैंच दी तथा शेष जमीन जो बेंची वह दयाराम चमार की ही थी और दायराम चमार के हिस्से व पांती जमीन होने से ही उन्होने 99 रूपयें में लालुलराम जाट के पक्ष में बही में विकय पत्र निष्पादित किया। पुराने जमाने में आपस में विश्वास करते थे और उसी विश्वास से तथा प्रतिफल राशि 100 रूपयें से कम अर्थात् 99 रूपयें होने से उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य नहीं था, जिससे बही प्रदर्श–1 में लिखी गई लिखा पढी से बदलने का कोई हक व अधिकार नहीं है दयाराम चमार ने उसके हिस्से व पांती की जमीन ही बैंची है उसमें रामा चमार का कोई हिस्सा नहीं रहा है यदि रामा चमार का हिस्सा होता तो रामा चमार एतराज करता लेकिन इस वाद में रामा चमार के वारिसान् ने वादी के वाद पत्र का समर्थन

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किया है। दयाराम चमार के वारिसान् ने मगना हगामी मांगू व नर्बदा है जिसमें से मगना चमार हगामी चमार व नर्बदा चमार ने वादी के वाद का समर्थन किया है। केवल मात्र वारिसा मांगू चमार (मृतक) की पत्नी प्रेमी व पुत्र भागीरथ चमार को एतराज करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रेमी चमार व भागीरथ चमार के मन में बदनियति आ चुकी है। प्रेमी के ससुर दयाराम चमार द्वारा सर्वप्रथम बही प्रदर्श–1 में 99 रूपयें जो लिखा पढ़ी की गयी और उसकी के समर्थन में बाद में स्टाम्प पर रजिस्ट्री प्रदर्श–2 व प्रदर्श–17 द्वारा करायी गयी जिस समय दस्तावेज प्रदर्श–1 लिखा गया उस समय राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का कानुन लागु नहीं था। वादग्रस्ती जमीन पर प्रेमी चमार गीता चमार मांनी बालु चमार द्वारा खेत की बाड़ को काटकर ज्वार की फसल की चोरी कर ले गए जिस पर वादी रामचन्द्र ने दिनांक 12.10. 1994 को पुलिस थाना,रेलमगरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जिस पर पुलिस द्वारा अनुसंधान कर प्रेमी चमार व अन्य के विरूद्ध धारा 447–379 भा0द0सं0 में अभियोग पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट,रेलमगरा में पेश किया गया जिस पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा द्वारा दिनांक 08.10.1999 को निर्णय पारित कर प्रतिवादी/अभियुक्त प्रेमी चमार को धारा 447–379 भा0द0स0 में दोष सिद्ध घोषित किया गया । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलमगरा के फैसले की प्रति प्रदर्श–18 है। इस प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं गवाहान् से यह भलीभांति प्रमाणित होता है कि ग्राम छतरीखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 3–2 बीघा को वादीगण के पिता लालुराम जाट ने सम्वत् 2009 का जेठ बिद 10 को प्रतिवादी संख्या 3,6,7 के पिता एवं 4 के ससुर दायराम के हिस्से में होने से उनसे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा 2018 को चैत्र सुदी एकम को एक स्टाम्प भी लिख दिया एवं दिनांक 06.08.1974 को दयाराम ने स्टाम्प लिखकर रजिस्ट्री करवा दी। तनकी संया –1 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से यह भलीभांति प्रमाणित है कि साबिक आराजी नम्बर 110 के हाल आ0 नं0 128 रकबा 3–14 कायम हुए है। तनकी संख्या–2 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं गवाहान से यह भीली भांति प्रमाणित है कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में 64 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण का कब्जा मुखालखाना परिपक्व हो चुका है। तनकी संख्या–3 वादीगण ने अपने पक्ष में प्रमाणित की है। उक्त परिस्थितियों में वादीगण,प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के हकदार है। तनकी संख्या –4 वादी ने प्रमाणित की है। आर0आर0डी01971 पेज संख्या 62 में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा 42 आर0टी0एक्ट सन् 1956 में लागू हुआ और उससे पहले से ही अर्थात् 64 वर्ष पूर्व से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा हैव वादीगण के पक्ष में प्रदर्श–1 लिखा जा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

चुका है इसलिए उस समय कानून अनुसूचित जाति द्वारा स्वर्ण जाति के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था जिससे उनकी संख्या–5 प्रतिवादीगण साबित नहीं कर पाए है और वादीगण ने अपना दाद साबित किया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि मौजा छतरीखेड़ा की साबिक आराजी संख्या 110 रकबा 03–02 तीन बीघा दो बिस्वा जिसके हाल आराजी संख्या 128, रकबा 03–14 बने है, की भूमि वादीगण के स्वत्वाधिकार की होकर वादीगण के खातेदारी की घोषित फरमायी जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके नौकर चाकर या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से वादग्रस्त जमीन में हस्तक्षेप दखलन्दाजी न करें, न करावें। उक्त आराजियात् में प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर उनके बजाय राजस्व अभिलेखो में वादगण का नाम दर्ज कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

इसके खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस की गयी कि संक्षिप्त में वाद पक्ष के तथ्य इस प्रकार है कि संवत् 2009 का जेठ बिद 10 को दयाराम चमार के हिसने की आराजी संख्या 110 क्षेत्रफल 3 बीघा 2 बिस्वा ग्राम छतरीखेड़ा में स्थित होकर उक्त सम्पूर्ण क्षेत्रफल की भूमि वादीगण के पूर्वज लालुराम ने क्रय की व विक्रय पत्र प्रदर्श–1 निष्पादित करना बताया गया जिसके आधार पर वादीगण ने खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक आशय का वादपत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पूर्वज लालुराम को संवत् 2009 को वादग्रस्त भूमि विक्रय नहीं की गई एवं उक्त विक्रय पत्र स्टाम्प पर नहीं है तथा पंजीकृत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य में ग्राहय ग्राह्य नहीं है एवं राज० काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के तहत अनुसूजाति के सदस्य की भूमि स्वर्ण जाति के सदस्य क्रय नहीं कर सकते है। यदि वास्तव में संवत् 2009 में विक्रय किया गया होता तो संवत् 2018 व 6/8/1974 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की आवश्यता नहीं रहती । वादीगण फर्जी दस्तावेज के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। आराजी संख्या 110 रामा दयाराम पिता रुपाजी के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज थी ऐसी स्थिति में अकेले दयाराम को सम्पूर्ण क्षेत्रफल विक्रय करने का अधिकार ही उत्पनन नहीं होता एवं वादीगण के पूर्वज पुरी आराजी क्रय करने का अधिकारी नहीं है। वादीगण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है। दोनों पक्षों के अभिवचन के आधार पर निम्न विवेचक माननीय न्यायालय द्वारा विरचित किये गये। ग्राम छतरीखेड़ा की साबिक

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नैनवा

आराजी संख्या 110 में 03–02 तीन बीघा दो बिश्वा वादीगण के पिता लालुराम जी ने संवत् 2009 में जेठ बीद 10 को प्रतिवादी संख्या 3,6,7 के पिता एवं 4 के ससुर श्री दयाराम जी के हिससे में होने से उनसे खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है एवं संवत् 2018 का चैत्र सुद 1 को एक स्टाम्प भी लिख दिया एवं दिनांक 06.08.1974 को दयाराम ने स्टाम्प लिखकर रजिस्ट्री करवा दी गई। साबिक आराजी संख्या 110 के हाल आराजी संख्या 128 रकबा 3–14 तीन बीघा 14 बिश्वा कायम हुए है। वादीगण का मुखालखाना कब्जा परिपक्व हो जाने से वादीगण स्वत्व घोषणा करने के अधिकारी है। वादी बखीचालाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार है। अनुसूचित जाति की आराजी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को विकय नहीं हो सकती न ही वादी का कब्जा है वादी का कोई हक नहीं है। विवादक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर जो साक्ष्य के बैखुबी रूप से साबित करने में असफल रहे है क्योंकि प्रदर्श–1 अपंजीकृत होकर अनस्टैप्ड है जिससे धारा 35 स्टाम्प एक्ट के अनुसार साक्ष्य में ग्राहय नहीं माना जा सकता है। एवं यहां तक की काल लेटर प्रपज के लिए साक्ष्य में ग्राहय नहीं है इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 2009 वॉल्युम प्रथम पेज संख्या 1490 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि इस प्रकार के अन स्टेम्पड व अपंजीकृत विकय पत्र को साक्ष्य में ग्राहय नहीं किया जा सकता है। साथ ही इस प्रकार के अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय को घोषणा करने का क्षैत्राधिकार नहीं है। इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय आर0आर0डी0 1992 पेज संख्या 628 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। ससाथ ही राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की अनुसूची 3 के अनुसार संविदा की विशिष्ट पालना एवं इकरार की पालना का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है जिससे उक्त वाद का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से वादी का वाद निरस्त फरमाया जावें। उपरोक्त स्थिति में वादीगण विवाधक संख्या 1 पूर्णरूप से सिद्ध करने में असफल रहे है एवं संवत् 2018 का विकय पत्र शून्य है जिसका विस्तृत विवरण तनकी संख्या 5 में निवेदन किया जावेगा। विवाधक संख्या 2 वादी गत भू–माप के नवीन नम्बर साबित करने में सफल रहा है किन्तु मात्र इस तनकी के आधार पर वादी किसी प्रकार की सफलता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विवाधक संख्या 3 वादीगण की ओर से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा के बारे में है इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस तनकी को वादीगण साबित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहे है क्योंकि वादीगण ने विकय पत्र को आधार बनाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे वादीगण के अनुसार इजाजतन (परमिशिबल पजीशन) कब्जा होने के तथ्य वर्णित किये गये है एवं दूसरी तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा चाही गई है जो एक दूसरे के विरोधी तथ्य है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस प्रकार वादी किसी प्रकार की घोषणा करने का अधिकारी नहीं है एवं जैसे ही वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा चाही गयी उसी स्थिति में प्रतिवादीगण को वादी खातेदार कृषक मान लिए जाने पर ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा की मांग की जा सकती है। चूंकि वादीगण विक्रय पत्र के आधार पर दावा लाये है जिससे इस तनकी के आधार पर वादीगण किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा इस संदर्भ में आर0आर0टी 2013 वॉल्युम संख्या 834 में निवेदन किया गया है माननीय न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दीर्घ कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जा प्राप्त नहीं कर सकते है तथा सुप्रीम कोर्ट ने ए0आई0आर0 2011 पेज संख्या 1480 में प्रतिकूल कब्जा साबित करना वास्तविक स्वामी के विरूद्ध आवश्यक है। यहां वादी स्वयं अपने आपको खरीद के आधार पर खातेदार बता रहा है ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण किसी प्रकार की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। विवाधक संख्या 4 एक सहायक अनुतोष के रूप में निषेधाज्ञा प्राप्त करने के बाबत है जब वादीगण मुख्य अनुतोष ही प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रह जाते है ऐसी स्थिति में अनुसांज्ञित अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। विवाधक संख्या 5 के संदर्भ में वादीगण के द्वारा संवत् 2018 का चैत्र सुद 1 जो कि प्रदर्श 2 है के बारे में निवेदन है कि उक्त विक्रय पत्र राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी के विपरीत होने से उक्त विक्रय पत्र शून्य विक्रय पत्र की परिभाषा में आता है जिसके आधार पर एवं प्रदर्श–17 जो कि दिनांक 06.08.1974 को पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है। दोनो विक्रय पत्र विधि विरूद्ध होने से इन विक्रय पत्र से किसी प्रकार का अनुतोष,पपत करने का अधिकारी नहीं है। यह स्वकृत तथ्य है कि वादीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है एवं प्रतिवादीगण के अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जिससे प्रदर्श– 2 व प्रदर्श 17 शून्य विक्रय पत्र है इससे प्रतिवादी संख्या 5 अपने पक्ष में साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे है। वादीगण की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट का 2010 का निर्णय पेश किया गया वह इस मामले में लागू नही होता है। क्योंकि इसमें संविदा की विशिष्ट पालना में सिविल न्यायालय में वादी लम्बित था एवं इसमे धारा 49 पंजीयन अधिनियम में समपार्श्विक रूप से ग्राह्य माना गया लेकिन वादीगण की ओर से उक्त वाद संविदा की विशिष्ट पालना के लिये नहीं होकर राजस्व न्यायालय के विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी है जिससे वादीगण की ओर से प्रस्तुत उललेख इस मामले में लागू नहीं होते है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित होकर संयुक्त खातेदारी की थी जिससे दयाराम को सम्पूर्ण आराजी को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय नहीं कर सकता है एवं वादग्रस्त भूमि को दयाराम के हिस्से बंटवाडे में आयी हो ऐसे साक्ष से भी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादीगण को साबित करने में पूर्ण सहमत रहे है। इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आर0आर0डी0 2006 पेज 5 पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी भी गयी। दोनों अधिवक्ताओं ने अपनी–अपनी लिखित बहस को दोहराया गया। अधिवक्ता वादी दौराने बहस RRD 1971 पेज संख्या 62, RRT 2009 (1) पेज संख्या 369 एवं धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के नजीरे पेश की गई तथा इसके खण्डन में प्रतिवादी अधिवक्ता ने RLW 1974 पेज संख्या 296, RLW 2009(2) RJ पेज संख्या 1241, RLW 2004 RJ पेज संख्या 625, RLW 2009 (1) RJ पेज संख्या 296, 2008 (o) Supreme (sc) पेज संख्या 1881, RRD 1992 पेज संख्या 628 के नजीरे पेश की गयी।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं नजीरों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. तनकी संख्या 01 जिम्में वादीगण होकर वादीगण ने अपनी उक्त तनकी के सम्बन्ध में गवाह पीडब्ल्यू–01 रामचन्द्र जाट, पीडब्ल्यू–02 धनराज जाट, पीडब्ल्यू–03 जीतमल जाट, पीडब्ल्यू–04 लालु चमार, पीडब्ल्यू–05 नानालाल मांडोलिया के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर जिरह पूर्ण हुई एवं दस्तावेजी साक्ष्य विक्रय पत्र की प्रति प्रदर्श–01, स्टाम्प संवत् 2018 का चैत्र शुदी 01 को वादीगण के पक्ष में लिखा उसकी असल प्रति प्रदर्श–02 होकर छाया प्रति प्रदर्श–02ए, खसरा भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–03, लगान की रसींदे प्रदर्श–04 से 10, नक्शा ट्रेस हाल आराजी संख्या 128 का प्रदर्श–11, जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–12, खसरा गिरदावरी की नकल प्रदर्श–13, प्रपी द्वारा दिये गये नोटिस की नकल प्रदर्श–14, नोटिस का जवाब द्वारा वादीगण प्रदर्श–15, पोस्टल रसीद प्रदर्श–16, रजिस्ट्री दिनांक 06.08.1974 को पुनः करवायी प्रदर्श–17, दिनांक 08.10.1999 को न्यायायल न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र.व.) रेलमगरा द्वारा दोषसिद्ध किया गया जिसके फैसले की प्रति प्रदर्श–18 के प्रस्तुत किये गये। जिनका अवलोकन करने पर जाहिर आया है कि वादीगण द्वारा ग्राम छतरीखेड़ा की साबिक आ.न. 110 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा वादीगण के पिता लालुराम ने संवत 2009 का जेठ विद 10 को प्रतिवादी सं 3,6,7 के पिता व 04 के ससुर दयाराम के हिस्से में होने से उनसे खरीद की एवं संवत 2018 का चैत्र सुद 1 को एक स्टाम्प भी लिख दिया तथा दिनांक 06.08.74 को दयाराम ने स्टाम्प लिख कर रजिस्ट्री भी करवा दी। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी),
रेलमगरा

से लागु हो चुका था और वादीगण द्वारा उक्त अधिनियम लागु होने के बाद दिनांक 06.08.1974 का अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का हस्तान्तरण करवाया गया है, जिसे वादीगण स्वयं भी स्वीकार कर रहे है किन्तु उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विपरीत होकर विधि का उल्लघंन किया गया है। साथ ही जहां तक वादीगण का प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जे का प्रश्न है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों के अतिकमण को हटाये जाने के प्रावधान भी निहीत है। ऐसी स्थिति में वादीगण की उक्त तनकी विधि के विरूद्व हो वादीगण इसे सिद्व करने में असफल रहे है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

2. तनकी संख्या 02 वादीगण के जिम्में होकर वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य मिलान खसरा से साबिक आराजी संख्या 110 के हाल आराजी संख्या 128 रकबा 03–14 बीघा बने होना सिद्व होता है। जिससे उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।
3. तनकी संख्या 03 वादीगण के जिम्में होकर वादीगण द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि पर विधि के विरूद्व जाकर कब्जा कर रखा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों के अतिकमण को हटाये जाने के प्रावधान भी निहीत है। जिससे वादी घोषणा कराये जाने का अधिकारी नही होने से उक्त तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।
4. तनकी संख्या 04 जिम्में वादीगण होकर तनकी संख्या 01 व 03 के अनुसरण उक्त तनकी भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।
5. तनकी संख्या 05 जिम्में प्रतिवादीगण होकर प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त तनकी के समर्थन में गवाह डीडब्ल्यू–01 प्रेमी चमार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जिरह पूर्ण हूई। प्रतिवादी का कथन है कि अनुसूचित जाति की आराजी सवर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय नही हो सकती न ही वादी का कब्जा है वादी का कोई हक नही हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि का अन्य जाति को हस्तान्तरण किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के विपरीत होकर विधि का उल्लघंन है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्तियों के अतिकमण को हटाये जाने के प्रावधान भी निहीत है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी अपनी उक्त तनकी को सिद्व करने में सफल रहा है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

: : आदेश : :

अतः तनकीवार विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होकर वादीगण द्वारा क्रय किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लघंन किया जाने एवं उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के विपरीत जाकर कब्जा किये जाने से वादीगण का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की वादग्रस्त भूमि का विधि विरूद्व हस्तान्तरण होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही आगामी 01 माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूलवाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 31/2015

<u>वादीपक्ष –</u>

1. रामचन्द्र जाट(मृतक) के बजाय :–
   (1) श्रीमति नानी पत्नी स्व. रामचन्द्र जाट निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (2) श्रीमति संतोष पुत्री स्व. रामचन्द्र जाट पत्नी भोनीराम हाल निवासी छापरी तह.कपासन जिला चितौडगढ
   (3) श्रीमति प्रेम पुत्री स्व. रामचन्द्र जाट पत्नी गोरधन हाल निवासी निम्बाहेडा तहसील कपासन जिला चितौडगढ
   (4) श्रीमति सीता पुत्री स्व. रामचन्द्र जाट पत्नी जगदीश हाल निवासी सोमरवालों का खेडा तहसील राशमी जिला चितौडगढ
2. पृथ्वीराज पिता लालुराम जाट निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

<u>प्रतिवादी पक्ष –</u>

1. हरलाल पिता रामा चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय
   (1) नोजी पत्नि स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (2) रतनलाल पिता स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (3) माधुलाल पिता स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (4) सोहन पिता स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (5) प्रेमी पुत्री स्व. हरलाल चमार निवासी दामोदरपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. गणेश पिता रामा चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय
   (1) भेरा पिता स्व. गणेश चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (2) मुस्मात कमली पुत्री स्व. गणेश चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (3) राजु पिता स्व. गणेश चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   (4) सत्तु पिता स्व. गणेश चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड ... रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
3. मगना पिता दयाराम चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. श्रीमती प्रेमीबेवा मांगु चमार निवासी छतरीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
5. भागीरथ पिता मांगु चमार निवासी छतरीखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
6. मुस्मात हगामी पिता दयाराम पत्नी मोहन चमार निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. मुस्मात नर्बदा पिता दयाराम चमार निवासी दोमादरपुरा मजरा दोमादरपुरा का खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. राज्य सरकार तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वादीगण की ओर से – श्री मुकेश ओस्तवाल, नवलसिंह राणावत अधिवक्ता
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री चावण्डसिह शक्तावत अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 27/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तनकीवार विवेचन अनुसार वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की होकर वादीगण द्वारा कय किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लघंन किया जाने एवं उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 (बी) के विपरीत जाकर कब्जा किये जाने से वादीगण का वाद बाबत् स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रेलमगरा को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की वादग्रस्त भूमि का विधि विरूद्व हस्तान्तरण होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के तहत कार्यवाही आगामी 01 माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(राकेश कुमार न्योल)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा